

No. HQ/PIO/RTI/4/15


Date: 20.03.2015

Sh. Shakti Singh Chauhan,
"Shakti Kunj", Near Railway Line,
Subhash Nagar, Beawar Road,
Ajmer (Rajasthan)-305001.

Sub: Information under RTI Act- 2005
Ref: Your application dt. 10.12.2014.

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.01.2015 के निर्देशानुसार आपने दिनांक 09.02.2015 को सीपीएम/अजमेर कार्यालय में उपस्थित होकर विभिन्न फाइलों का निरीक्षण करने के बाद लगभग 60 पृष्ठों की प्रमाणित छायाप्रति की मांग की है। जिनका संबंधित विभाग द्वारा अवलोकन करने पर पाया गया कि कुछ दस्तावेज एवं मांगी गई सूचनायें तृतीय पक्षकार की व्यक्तिगत सूचनाओं से संबंधित है यथा परियोजना से प्रभावित खातेदार का नाम, पता, मुआवजे की राशि, अभिनिर्णय इत्यादि। अतः आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8(j) के अंतर्गत वर्णित दस्तावेज आपको उपलब्ध नहीं करवाये जा सकते हैं।

यदि आप चाहें तो उस सूचना कि मांग कर सकते हैं जा किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना न हो और आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में हो।


(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to:- CPM/Ajmer

**प्रेषण
DESPATCH**

28/3